भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 366
उत्तर देने की तारीख : 22.07.2025

दिव्यांगजनों के लिए नियमित शिविर और सहायक उपकरण

366. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु और तेलंगाना में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए नियमित शिविर आयोजित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो राज्य-वार इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु में कितने सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए गए हैं, और विशेषकर कन्याकुमारी सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एडीआईपी जैसी योजना के अंतर्गत तमिलनाडु और तेलंगाना सहित राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है ;

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु और तेलंगाना के ग्रामीण और कम सुविधा वाले जिलों में दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, कृत्रिम अंग और ब्रेल किट जैसे सहायक उपकरणों तक समान और नियमित पहुंच सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ङ) इन शिविरों के आयोजन में जिला कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, और क्या सरकार स्थानीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने और नियमित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक दिशानिर्देश जारी करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य सरकारों से 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप योजना)' के अंतर्गत नियमित शिविर आयोजित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जो कि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) है, इस एडिप योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है तथा यह पूरे देश में नियमित रूप से शिविरों का आयोजन करती है। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में एलिम्को द्वारा आयोजित शिविरों का विवरण इस प्रकार है:

	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
तमिलनाडु	71	86	81	238
तेलंगाना	29	76	331	436

(ख) एडिप योजना के अंतर्गत पिछले 05 वर्षों में तमिलनाडु में आयोजित सहायक उपकरण वितरण शिविरों की संख्या का कन्याकुमारी जिले सहित, जिलावार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, एडिप योजना में राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले 3 वर्षों में एडिप योजना के अंतर्गत उपयोग की गई राज्य-वार निधियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) विभाग 'सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता' (एडिप) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु तथा तेलंगाना राज्यों के ग्रामीण और पिछड़े जिलों सहित पूरे देश में पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, कृत्रिम अंग और ब्रेल किट खरीदने में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि जारी की जाती है, ताकि दिव्यांगजनों की दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि हो सके।

विभाग, शिक्षा मंत्रालय के स्कूल, शिक्षा और साक्षरता विभाग के सहयोग से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के साथ मिलकर एडिप योजना को कार्यान्वित कर रहा है। एडिप एसएसए (समग्र शिक्षा अभियान) के इस प्रावधान के तहत स्कूल जाने वाले छात्रों को ब्रेल किट सहित शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे विभिन्न प्रकार की सहायक यंत्र और उपकरण वितरित किए जाते हैं।

(ङ) एडिप योजना के अंतर्गत शिविरों का आयोजन जिला प्रशासन के समन्वय से एलिम्को के माध्यम से किया जाता है। एडिप योजना के अंतर्गत शिविरों के आयोजन के समय स्थानीय जिला प्रशासन को पत्र भेजे जाते हैं, जिसमें शिविरों के आयोजन तथा लाभार्थियों की पहचान के लिए एलिम्को को आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अलावा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11013/4-2011-स्था.(ए) दिनांक 01.12.2011 के अनुसार, इन शिविरों में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं।

*****

अनुबंध-I

"दिव्यांगजनों के लिए नियमित शिविर और सहायक उपकरण" के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों में एडिप योजना के अंतर्गत कन्याकुमारी जिले सहित तमिलनाडु में आयोजित सहायक उपकरण वितरण शिविरों की जिलावार संख्या इस प्रकार है-

क्र.सं.	जिले का नाम	शिविरों की संख्या					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1.	अरियालुर	1	2	0	2	0	5
2.	चेंगलपट्टू	0	0	0	2	0	2
3.	चेन्नई	1	3	3	9	31	47
4.	कोयंबत्तूर	3	2	2	0	0	7
5.	कुड्डालोर	2	4	0	3	1	10
6.	धर्मपुरी	1	3	0	3	0	7
7.	डिंडीगुल	2	5	4	1	1	13
8.	इरोड	1	2	2	0	1	6
9.	कल्लाकुरिची	0	0	0	2	1	3
10.	कांचीपुरम	10	15	18	9	0	52
11.	कन्याकुमारी	1	2	2	0	0	5
12.	करूर	2	3	1	2	0	8
13.	कृष्णागिरी	0	2	1	2	1	6
14.	मदुरै	1	4	2	1	7	15
15.	नागपट्टिनम	3	2	0	3	0	8

16.	नामक्कल	1	2	2	0	0	5
17.	पेराम्बलुर	0	2	0	2	1	5
18.	पुदुक्कोट्टई	2	2	1	2	0	7
19.	रामनाथपुरम	1	2	0	3	0	6
20.	रानीपेट	0	0	0	0	2	2
21.	सेलम	0	2	2	1	0	5
22.	शिवगंगा	0	2	3	0	0	5
23.	तंजावुर	0	3	0	8	1	12
24.	नीलगिरी	1	2	2	0	0	5
25.	तेनी	0	2	2	1	0	5
26.	तिरुवल्लुर	2	4	2	4	4	16
27.	थिरुवारुर	0	2	1	3	0	6
28.	तूत्तुकुड़ी	1	3	0	3	2	9
29.	तिरुचिरापल्ली	2	3	1	2	1	9
30.	तिरुनेलवेली	5	2	2	6	0	15
31.	तिरुपूर	1	2	2	0	0	5
32.	तिरुवन्नामलाई	3	2	2	2	0	9
33.	वेल्लोर	0	2	10	5	0	17
34.	विलुप्पुरम	1	3	0	5	0	9
35.	विरुधुनगर	2	3	3	0	1	9
कुल		50	94	70	86	55	355

अनुबंध-II

"दिव्यांगजनों के लिए नियमित शिविर और सहायक उपकरण" के संबंध में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 366 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले 03 वर्षों में एडिप योजना के अंतर्गत उपयोग की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है-

क्र.सं.	राज्य	उपयोग की गई निधि (लाखों में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	7.23	0.06	14.50
2	आंध्र प्रदेश	686.16	2084.39	1686.58
3	अरुणाचल प्रदेश	1003.06	4.57	10.13
4	असम	0	1302.62	1075.56
5	बिहार	1076.87	2427.1	785.37
6	चंडीगढ़	39.12	31.39	186.78
7	छत्तीसगढ	152.36	37.42	231.70
8	दिल्ली	247.13	423.51	907.76
9	दमन और दीव	0	0	0
10	गोवा	0	40.66	33.18
11	गुजरात	443.07	1539.78	3244.66
12	हरियाणा	678.06	1077	750.92
13	हिमाचल प्रदेश	143.74	153.25	157.36
14	जम्मू और कश्मीर	507.60	542.88	328.60
15	झारखंड	851.16	629.64	836.88
16	कर्नाटक	421.81	1248.22	1324.58
17	केरल	222.35	563.87	152.72

18	लद्दाख	1.89	28.79	13.39
19	लक्षद्वीप	0	1.66	18.83
20	मध्य प्रदेश	1732.72	4283.69	2520.72
21	महाराष्ट्र	1568.47	4211.25	2636.50
22	मणिपुर	47.93	21	43.97
23	मेघालय	172.87	3.87	50.84
24	मिजोरम	0.13	10.41	29.78
25	नागालैंड	23.82	3.16	47.82
26	ओडिशा	784.57	953.44	1579.03
27	पुदुचेरी	0	24.37	102.59
28	पंजाब	902.06	1703.61	2029.32
29	राजस्थान	667.52	2155.48	1697.81
30	सिक्किम	3.15	4.27	2.68
31	तमिलनाडु	859.85	1137.29	416.12
32	तेलंगाना	420.54	1389.14	1417.24
33	दादरा और नगर हवेली	21.13	4.78	54.05
34	त्रिपुरा	292.69	89.49	90.32
35	उत्तर प्रदेश	3823.14	7479.29	9244.49
36	उत्तराखंड	185.59	275.44	401.98
37	पश्चिम बंगाल	1587.88	958.23	1358.66
कुल		**19575.67**	**36845.02**	**35483.42**

*****